जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 184वीं बैठक दिनांक 16.11.2012 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में **"चिन्तन"** कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री जे. बी. जाखड, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती साधना शर्मा, कार्यवाहक सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री सी.एस. पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक (मा0 प्लान), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री कैलाश चन्द्र यादव, उपायुक्त जोन–6, जविप्रा, जयुपर।
3. श्री हरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयुपर।
4. श्रीमती उषा जैन, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–
एजेण्डा संख्या :–1
184 / 16.11.2012

विषयः– बी.पी.सी.(एल.पी.) बैठक कमांक 183वीं बैठक दिनांक 30.10.2010 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में ।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात कार्यवाही विवरणो की पुष्ठि की गई

एजेण्डा संख्या :–2
184 / 16.11.2012 (जोन–6)

विषयः– म्युचअल गृ.नि.स. समिति की योजना शान्ति नगर के हाईटेन्शन लाईन से प्रभावित भूख्रण्डों के नियमन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया, कि म्युचअल गृ.नि.स. समिति की योजना शान्ति नगर का नियमन शिविर आयोजित किया जा चुका है। अनुमोदित मानचित्र अनुसार उक्त योजना में भूखण्ड संख्या 4ए, 5ए, 11ए, 12ए, 13ए, 15ए, 16ए, 17ए, 18ए, 19ए, 20ए, 21ए, 22ए, 34ए, 35ए, 36ए, 37ए, 46ए, 47ए, 48ए, 137ए, 147ए, 66ए, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 86 88, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, (कुल 54 भूखण्ड) एच.टी. लाईन से प्रभावित दर्शाये गये है जिनमें से कुछ भूखण्डधारियों द्वारा जे.वी.वी.एल.एल. से हाईटेन्शन लाईन हटने का प्रमाण

पत्र प्रस्तुत करने पर भूखण्ड संख्या 4ए, 11ए, 17ए, 18ए, 34ए, 35ए, 37ए, 47ए, 48ए, 147ए, 66, 77, 89, 90, 102, 103, 111, 108, 118 (कुल 19 भूखण्ड) की लीजडीड ज़ारी की जा चुकी है।

इस प्रकार एच.टी.लाईन से प्रभावित नियमन से शेष कुल 35 भूखण्ड है, जोनल अभियन्ता की रिर्पोट अनुसार इनके ऊपर से एच.टी.लाईन हट चुकी है। अतः इन भूखण्ड संख्या 5ए, 12ए, 13ए, 15ए, 16ए, 19ए, 20ए, 21ए, 22ए, 36ए, 46ए, 137ए, 75, 76, 81, 82, 83, 86, 88, 87, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 109, 110, 116, 117 (कुल 35 भूखण्ड) का नियमन किया जावें।

<u>एजेण्डा संख्या :–3</u>
184 / 16.11.2012 (जोन–6)

विषयः– सैक्टर प्लान 15 जो कि बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 17.07.12 में अनुमोदित है, में स्वीकृत 100'–0" सैक्टर रोड के एलाईमेन्ट को मौके पर स्थित रोड के अनुसार परिवर्तन / संशोधन करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया, कि सेक्टर प्लान 15 में स्वीकृत 100'–0" सेक्टर रोड का अलाईमेन्ट मौके पर बनी रोड के अलाईमेन्ट से भिन्न है। मौके पर बनी रोड एवं आर.ओ.बी. का अलाईमेन्ट लगभग मेल खाता है तथा आर.ओ.बी. के निर्माण गें भूखण्डधारियों की कम से कम भूमि प्रभावित होती है। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मौका स्थिति के अनुसार विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु के दोनों ओर समान भूमि लेते हुए सडक का अलाईमेन्ट परिवर्तन किया जावें।

<u>एजेण्डा संख्या :–4</u>
184 / 16.11.2012 (जोन–6)

विषयः– शंकर भवन गृ.नि.स. समिति की योजना महेशपुरी के भूखण्ड संख्या 47–ए के नियमन से शेष क्षेत्रफल का नियमन करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया, कि शंकर भवन गृ.नि.स. समिति की योजना महेशपुरी के भूखण्ड संख्या 47–ए क्षेत्रफल 94.50 वर्गगज की लीजडीड श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी श्री मदन लाल शर्मा के नाम जारी की गई है।

समिति द्वारा योजना महेशपुरी के भूखण्ड संख्या 47–ए का आवंटन पत्र 200.00 वर्गगज व साईड प्लान 203.00 वर्गगज का जारी किया गया है।

पूर्व में पदस्थापित जे.ई.एन. की मौका रिर्पोट अनुसार उक्त भूखण्ड के आगे से 33 के.वी की एच.टी.लाईन गुजरने के कारण एच.टी.लाईन से प्रभावित क्षेत्र को कम करते हुए शेष बचे क्षेत्रफल 94.50 वर्गगज की लीजडीड जारी की गई थी।

आवेदक द्वारा जे.वी.वी.एल.एल. क्रमांक 637 दिनांक 17.11.11 का पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार वर्तमान में उक्त स्थल से 33 के.वी. की एच.टी.लाईन हट चुकी है, जिसका मौके पर जोर के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापन किया गया। अतः आवंटन पत्र के अतिरिक्त मौके पर उपलब्ध भूमि का नियमानुसार शुल्क लेते हुए शेष भूमि का नियमन किया जावें तथा भूखण्ड संख्या 24, 47ए, 48, 49, 50, 51, 51ए, 54, 55, 56, 56ए, व 57 (कुल 12 भूखण्डो) पर से एच.टी. लाईन हटने के कारण इनका भी नियमन किया जावे।

एजेण्डा संख्या :–5
184 / 16.11.2012 (जोन–12)

विषयः– श्री शरद लोयलका पुत्र श्री पुरूषोत्तम लोयलका व अन्य ग्राम जैतपुरा तहसील चौमू के खसरा नम्बर 1924, 1925, व 1927 / 2 का औद्योगिक प्रयोजनार्थ का एकल पट्टा लिया जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया, कि. ग्राम जैनुपरा जहसील चौमू के खसरा नं. 1924, 1925, व 1927 / 2 का औद्योगिक एकल पट्टा जारी किया जावें। इसमें इस भूखण्ड के नाप हेतु लागू भवन विनियम तथा रिको द्वारा जारी विनियम अनुसार जो भी अधिक सैटबेक हो देय होगें, तथा Ground Coverage तथा एफ.ए.आर. भवन विनियम या रिको के विनयम में से जो भी कम हो अनुज्ञेय किया जावेंगा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमती से निम्न अतिरिक्त एजेंण्डो पर भी विचार किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–1
184 / 16.11.2012 (जोन–6)

विषयः–दी कृष्णा गृ.नि.स.समिति की योजना उद्योग नगर के भूखण्ड संख्या 153, 154, 155, 156 कुल क्षेत्रफल 1200.00 वर्गगज के पुनर्गठन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि दी कृष्णा गृ.नि.स.समिति की योजना उद्योग नगर के भूखण्ड संख्या 153 व 154 प्रत्येक का क्षेत्रफल 300.00 वर्गगज (300+300 कुल 600 व.ग.) की लीजडीड श्रीमती कुसुम झालानी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार झालानी को व भूखण्ड संख्या 155 व 156 क्षेत्रफल 300 वर्गगज प्रत्येक (300+300 कुल 600 व.ग.) की लीजडीड श्री लोकेश खण्डेलवाल पुत्र श्री नवल किशोर के नाम जारी की जा चुकी है।

उक्त दोनों आवेदकों ने अपने–अपने भूखण्डों के लिये जरिये रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम मैसर्स एस.एन.जी. रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री सत्यनारायण गुप्ता को अपनी मुख्त्यारआम नियुक्त किया, जिनके द्वारा उक्त चारों भूखण्डों का पुनर्गठन (कुल क्षेत्रफल 1200.00 व.ग.) करने हेतु आवेदन किया है।

जोन कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिर्पोट अनुसार उक्त चारों भूखण्डों की लीजडीड पूर्व में जारी की जा चुकी हैं। प्रकरण चारों भूखण्डों का पुनर्गठन करने से सम्बन्धित है। प्रकरण में चारों भूखण्डों का पुनगर्ठित क्षेत्रफल 1500.00 व.ग. से कम होने के कारण पुनर्गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। पुनर्गठित भूखण्ड पर पैरामीटर्स भवन विनियम 2010 अनुसार देय होंगें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–2

184/16.11.2012 (जोन–1)

विषयः–भूखण्ड संख्या 344 से भूखण्ड संख्या 354 तक हिम्मत नगर समिति माधव गृह निर्माण सहकारी समिति के अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि माधव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हिम्मत नगर के भूखण्ड संख्या 344 से भूखण्ड संख्या 354 तक के ऊपर से बिजली की लाईन गुजरने के कारण इन्हें गैर–अनुमोदित किया गया था। वर्तमान में जोन की रिर्पोट अनुसार बिजली की लाईन हटा दी गई है, अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 344 से 354 को नियमन किया जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2012/डी–302
दिनांकः– 21/11/12

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
9. लेखाधिकारी (भूगतान), जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 184वीं बैठक दिनांक 16.11.2012 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में **"चिन्तन"** कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया पूर्व में कार्यवाही विवरण क्रमांक जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी(एल.पी)/बीपीसी/2012/डी–302 दिनांक 21.11.12 को जारी किया गया अतिरिक्त एजेन्डा संख्या 3 का निर्णय त्रुटीवश उसमें अंकित करना सहवन से रह गया है इसको कार्यवाही विवरण का भाग माना जावें जो निम्ानुसार हैः–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री जे. बी. जाखड, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती साधना शर्मा, कार्यवाहक सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री सी.एस. पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक (मा0 प्लान), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री कैलाश चन्द्र यादव, उपायुक्त जोन–6, जविप्रा, जयुपर।
3. श्री हरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयुपर।
4. श्रीमती उषा जैन, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–3
184/16.11.2012 (नितिगत निर्णय)

विषयः–रिंग रोड के डवलपमेन्ट कोरीडोर में भू–उपयोग आवेदन स्वीकार करने के सम्बन्धित नितिगत निर्णय बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक रिंग रोड का एलाईमेन्ट निर्धारित नहीं किया जाता एवं रिंग रोड के डवलपमेन्ट कोरीडोर के संबंध में निति तय नहीं की जाती है, तब तक उक्त क्षेत्र में 90ए नहीं कि जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

29/11/12

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2012/डी–314
दिनांकः–29/11/12

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
9. लेखाधिकारी (भूगतान), जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

29/11/12

SA

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।